(e) whether the competent authorities issuing Exim Scrips are not able to cross check the authenticity of the bank issuing the documents; and

(f) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) Exim scrips scheme has since been discontinued.

(c) to (f) Some cases have been detected where Exim scrips were issued based on documents subsequently found to be forged. The matter has been handed over to the police for appropriate action.

Indication of details of STD Call availed in bills

2908. SHRI S. MADHAVAN: Will the-Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the details of STD calls availed by a consumer are given in the telephone bills only in some-areas in Madras city; and

(b) if so, what steps are being taken to supply these details in the monthly telephone bills of all telephone subscribers in Madras city?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes Sir.

(b) Details of STD calls availed by-subscriber are given only to the subscribers at present served by electronic exchanges. Out of 35 exchanges in Madras Telephone District only 21 (49.5% of the Total Capacity) are of electronic type for the remaining 14 exchanges (50.5% of the total capacity) it is not technically possible to provide details of STD calls to the subscribers at present. This will be possible after the exchanges are replaced by electronic exchanges.

मध्य प्रदेश के कोयला बाहुल्य क्षेत्रों में एस०टी०डी० सुविधा

2909. **श्री अजीत जोगी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोयला बाहुल्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यावसायिक नगरों को एस०टी०डी० सुविधा शीघ्र देने की मांग कुछ जनप्रतिनिधियों तथा अन्य संस्थाओं ने की है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों को एस०टी०डी० सुविधा कब तक मिल जायेगी; और

(ग) सरगुजा जिले के सूरजपुर और विश्रामपुर तथा चिरमिरी जैसे नगरों की एस०टी०डी० सुविधाओं से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु): (क) जी, हां।

(ख) शहडोल, छिंदवाड़ा और सिंगरौली में एस०टी०डी० सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है। सिधी में मार्च, 92 के अंत तक और परसिया में वर्ष 1993-94 के दौरान यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान।

मध्य प्रदेश के ब्लॉकों और गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

2910. **श्री अजीत जोगी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ब्लॉकों और पंचायत मुख्यालयों की संख्या कितनी-कितनी है जहां अभी तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश ब्लॉक और पंचायत मुख्यालय पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ग) सरकार की उन्हें सीधी टेलीफोन सुविधा से जोड़ने की क्या योजना है; और

(घ) इन पंचायत मुख्यालयों को कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु): (क) सभी ब्लॉक मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और 16,652 पंचायतों को टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार ने 31 मार्च, 1995 तक सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा से

जोड़ने की योजना तैयार की है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

इलाहाबाद में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन

2911. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद जिला और नगर में 22 जून, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान किन-किन व्यक्तियों को बिना बारी के स्थायी टेलीफोन कनेक्शन दिये गये या चालू किये गये; और

(ख) उनमें से किन-किन व्यक्तियों को संसद सदस्यों के कोटा से टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

इलाहाबाद जिले में जून, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को स्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं, उनके नामों का विवरण

क्र० सं०	व्यक्तियों के नाम और पते	अभ्युक्तियां
1.	श्री विनायक मिश्र, 58 मधुवापुर, इलाहाबाद	जारी कर दिया है।
[2].	श्री मोहम्मद शमीम हाशिमी, 160 डी/एल गढ़कला, इलाहाबाद	—वही—
3.	श्री पी० के० तिवाड़ी, 1360-किदवई नगर, इलाहाबाद	—वही—
4.	श्री राजनाथ एन० शुक्ल, 10 ए मुट्ठूर रोड, इलाहाबाद	—वही—
5.	श्री दिनेश कुमार मिश्र, 397, डी मीरापुर, इलाहाबाद	—वही—
6.	श्री अम्बरीश कुमार जैसवाल, 14 सी मुफ्तीगंज, इलाहाबाद	—वही—
[7].	श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, 32 न्यायाधीश कालोनी, स्टेनले रोड, इलाहाबाद	—वही—
8.	श्री महबूब हसन, 21 स्टेनले रोड, इलाहाबाद	—वही—
9.	सुश्री श्यामली नियोगी, 287 मोहसिमगंज, इलाहाबाद	—वही—
10.	श्री आर० के० शाहो, 15 स्ट्रेची रोड, इलाहाबाद	—वही—
11.	मै० अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 87 बी/5 सर्वोदय नगर, इलाहाबाद	पंजीकरण की सूचना नहीं मिली।
12.	श्री विशंभरनाथ रस्तोगी, 400/4, मीरापुर, इलाहाबाद	जारी कर दिया है।
13.	श्री दुर्गाचरण मिश्र, 13./18 स्टेनले रोड, इलाहाबाद	—वही—
14.	श्री प्रकाश चन्द्र रायजादा, 7 दिलखुश नया कटरा, इलाहाबाद	—वही—
15.	श्री नसीम अहमद, सी-766 करेली स्कीम, इलाहाबाद	जारी कर दिया है।
16.	श्री देवी द्विवेदी 385 मालवीय नगर (लाल संगत) इलाहाबाद	पंजीकरण की सूचना नहीं मिली।
17.	श्री राम प्रसाद खन्ना, 6 हाशिमपुर रोड, टैगोर टाउन, इलाहाबाद	जारी कर दिया है
18.	श्री ओम प्रकाश चौरसिया, 85 कूंचा राय गंगाधर, इलाहाबाद	—वही—
19.	पीसीओ—श्री ओम प्रकाश चौरसिया, इलाहाबाद रे० स्टे०	पार्टी से कोई उत्तर नहीं मिला।
20.	श्री शमीम अहमद, 202 बख्शी बाजार, इलाहाबाद	जारी कर दिया है।
21.	श्री सैयद मज़हर हुसैन, 1/1 म्यूनिसिपल फ्लेट्स अटाला, इलाहाबाद	पंजीकरण की सूचना नहीं मिली।
22.	श्री रणजीत कुमार मिश्र, 92, सर्वोदय नगर, इलाहाबाद	जारी कर दिया है।
23.	श्री राजबिहारी शुक्ल, 23/91, बी-1 अल्लाहपुर, इलाहाबाद	—वही—
24.	श्री के० एल० खन्ना, 12/1 करेला बाग कालोनी, इलाहाबाद	पंजीकरण की सूचना नहीं मिली।